न्यायालय विशेष न्यायाधीश,एससी/एसटी एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश,लखनऊ।

सत्र विचारण वाद सं0:0000863/2016

राज्य प्रति राम प्यारी आदि

मु.अ.सं: 187ए/2009
धारा: 452,323,504,506भा0दं0
थाना:माल,लखनऊ ।

आरोप

मैं,उमाशंकर विशेष न्यायाधीश,एसी/एसटी एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश,लखनऊ एतद्द्वारा आप–रामप्यारी,भोला,दिनेश तथा श्रीमती कमला को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ–

1. यह कि आप अभियुक्तगण रामप्यारी,भोला,दिनेश तथा श्रीमती कमला ने दिनांक 29.04.2007 समय दिन मे स्थान ग्राम बसंतपुर मड़ई खुर्द थाना माल,लखनऊ मे वादी मुकदमा दिलावर से मारपीट करने के आशय से उसके घर मे घुसकर गृह अतिचार किया और इसप्रकार से उसके द्वारा आप लोगो ने एक ऐसा अपराध कारित किया जोकि भा0दं0सं0 की धारा 452 के अधीन दंडनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

2. यह कि आप अभियुक्तगण रामप्यारी,भोला,दिनेश तथा श्रीमती कमला ने उपरोक्त दिनांक,समय एवं स्थान पर एक राय होकर वादी दिलावर व उसकी पत्नी को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया और इसप्रकार से उसके द्वारा आप लोगो ने एक ऐसा अपराध कारित किया जोकि भा0दं0सं0 की धारा 323 सपठित धारा 34 के अधीन दंडनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

3. यह कि आप अभियुक्तगण रामप्यारी,भोला,दिनेश तथा श्रीमती कमला ने उपरोक्त दिनांक,समय एवं स्थान पर एक राय होकर वादी दिलावर व उसकी पत्नी को गंदी–गंदी गालियां देकर अपमानित किया और इसप्रकार से उसके द्वारा आप लोगो ने एक ऐसा अपराध कारित किया जोकि भा0दं0सं0 की धारा 504 सपठित धारा 34 के अधीन दंडनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

4. यह कि आप अभियुक्तगण रामप्यारी,भोला,दिनेश तथा श्रीमती कमला ने उपरोक्त दिनांक,समय एवं स्थान पर एक राय होकर वादी दिलावर व उसकी पत्नी को जान से मारने की धमकी दी और इसप्रकार से उसके द्वारा आप लोगो ने एक ऐसा अपराध कारित किया जोकि भा0दं0सं0 की धारा 506 के अधीन दंडनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

और एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोपों में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

(उमाशंकर शर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दिनांक:25.04.2017 कोर्ट सं0.2, लखनऊ।

आरोप पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया तथा परीक्षण की मांग की।

(उमाशंकर शर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दिनांक:25.04.2017 कोर्ट सं0.2, लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश,एससी/एसटी/अपर सत्र न्यायाधीश,लखनऊ।

सत्र विचारण वाद सं0.0000863/2016

सरकार बनाम रामप्यारी आदि

मु.अ.सं.–187ए/2009
अं.धाराः 452,323,504,506 भा0दं0सं0
थानाःमाल,लखनऊ ।

25.04.2017

वाद पुकारा गया । अभियुक्तगण रामप्यारी,भोला,दिनेश तथा श्रीमती कमल उपस्थित हैं । पत्रावली आज अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु नियत है ।

आरोप विरचित किये जाने के बिन्दु पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

विद्वान अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन मामले को वर्णित करते हुए कथन किया है कि पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी एवं समस्त अभिलेखीय साक्ष्य के अवलोकन से अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या धाराः 452,323,504,506 भा0दं0सं0 का मामला निर्मित होता है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओ के अंतर्गत आरोप विरचित किया जाए ।

उभय पक्ष के तर्क सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखीय साक्ष्य के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण पर धारा– **धाराः 452,323,504,506 भा0दं0सं0** अंतर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है ।

अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया तथा परीक्षण की मांग की ।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 03.06.2017 को पेश हो । साक्षी को तलब किया जाए ।

(उमाशंकर शर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0.2, लखनऊ।

अ0ज0
25.04.2017